न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–144/2014–15 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1– श्रीमती भागेश्वरी देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीदत्त, 2. राजेश, 3. सुनील, पुत्रगण लक्ष्मीदत्त, 4. सोहनलाल, 5. आनन्दमणि, पुत्रगण जयानन्द समस्त निवासीगण–बालोसौड, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

1– श्यामलाल, 2. वंशीलाल पुत्रगण जयानन्द, 3. लक्ष्मीदत्त पुत्र विशम्बर दत्त, 4. दरबान पुत्र ध्यानसिंह (मृतक), 4/1. श्रीमती सुशीला देवी, 4/2. देवेन्द्र सिंह, 4/3. राजेन्द, 4/4. मनोज कुमार पुत्रगण दरबान सिंह, 5. भोपाल सिंह, पुत्र कुशाल सिंह, 6. सच्चिदानन्द पुत्र बुद्धिराम, 7. सदानन्द पुत्र तारादत्त, 7/1. त्रिभुवन, 7/2. रमेश, 7/3. राकेश पुत्रगण सदानन्द, 8. शिवप्रसाद पुत्र भैरवदत्त, 9. प्रभा देवी पत्नी शिवेन्द्र मोहन, 10. ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम, 11.भागीरथी देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह, 12. मंगतराम पुत्र मायाराम, 13. इन्द्रमणि पुत्र रूद्रीदत्त, समस्म निवासीगण–कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, 14. प्रधान ग्राम सभा बालासौड़, पट्टी सुखरौ, कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल।

उपस्थित : पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलकर्तागण : श्री के0पी0 डंगवाल।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1 : श्री जितेन्द्र सिंह रावत।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपीलकर्तागण ने विद्वान अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील संख्या–09/2013–14 राजेश व अन्य बनाम श्यामलाल में पारित निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 जिसके द्वारा मूलवाद संख्या–9/2006–07 श्यामलाल व अन्य बनाम राजेश व अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 03–09–2013 की पुष्टि की गई है के विरूद्ध मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि उत्तरदाता संख्या–1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा–178 (176–178) जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके निस्तारण में सहायक कलेक्टर द्वारा पक्षकारों के मध्य वर्ष 1991–92 में हुए घर बंटवारे का कोई संज्ञान नही लिया है और न ही पक्षकारों को इस बिन्दु पर सुनवाई का मौका दिया गया है, कि पारित प्रारम्भिक डिक्री, वादपत्र एक प्रतिवाद पत्रों में प्रस्तुत अभिवचनों का संज्ञान लिये बिना विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश–41 नियम–27 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना प्रथम अपील निस्तारित की है अतः प्रकरण विधिवंत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाय।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 श्यामलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–178 (सम्भवतः धारा–176–178) जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका नाम ग्राम बालासौड, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार के वर्तमान खतौनी खाता संख्या–40 में दर्ज कागजात है, कि यह भूमि दादरसी भूमि है, कि मूलवाद के प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी है और वादी की भूमि पर कब्जा कर रहे है, कि उन्हें कब्जा छोड़ने को कहा गया लेकिन वे नही माने तथा गाली गलौच तथा जान माल की धमकी देने लगे। अतः खाता संख्या–40 का बंटवारा कर उसका खाता अलग बनाया जाय। प्रतिवादी संख्या–1 से 4 ने दिनांक 10–07–2007 को अपने प्रतिवाद पत्र के द्वारा वाद स्वीकार किया जबकि प्रतिवादी संख्या–10 ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर उसका खाता पृथक करने की प्रार्थना सहित प्रतिवाद पत्र दिनांक 19–12–2006 को प्रस्तुत किया। दिनांक 07–01–2011 को विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने प्रारम्भिक आज्ञप्ति पारित की तथा तदन्तर दिनांक 22–05–2013 को फद कुर्रे अमीन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एवं अन्ततः तद्नुसार दिनांक 03–09–2013 को अंतिम आज्ञप्ति पारित की गई।

अंतिम आज्ञप्ति दिनांक 03–09–2013 के विरूद्ध राजेश पुत्र लक्ष्मीदत्त आदि ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 23–11–2013 को प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 से निरस्त किया। इसी निर्णयादेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील निदेशित है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं संगत पत्रावलियों का भली भांति अवलोकन एवं अध्ययन किया।

इस द्वितीय अपील में निम्न विधि के सारवान प्रश्न दर्शाये गये हैः–

1– क्या अन्तर्गत धारा–176 उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम (यथा संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) में अभिवचनों के आधार पर बिन्दु का सृजन प्रारम्भिक डिक्री के पारित करने से पूर्व सृजित करना चाहिए था?

2– क्या पक्षकारों के मध्य पारिवारिक बंटवारे का संज्ञान अवर न्यायालयों को लेना चाहिए?

3– क्या वर्तमान वाद में अवर न्यायालयों ने बंटवारे के सम्बन्ध में बने नियमों की अनदेखी की है?

4– क्या प्रारम्भिक डिक्री को चुनौती दिये बिना, अंतिम डिक्री को चुनौती दी जा सकत है?

5– क्या दीवानी न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में वर्तमान वाद में कथित रूप से कब्जा तस्दीकी शून्य है?

6— क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थीगण के आदेश—41 नियम—27 दी0प्र0सं0 1908 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना, आक्षेपित निर्णय पारित करना चाहिए था या नही?

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उत्तरदाता संख्या—1 द्वारा सिविल न्यायालय से निषेधाज्ञा मांगी गई थी जो उसे नही मिली है, कि परीक्षण न्यायालय ने कब्जे के आधार पर कुर्रे नही बनाये है, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश—41 नियम—27 सी0पी0सी0 का निस्तारण किये बिना प्रथम अपील निरस्त कर दी गई है। दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या—1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अवर न्यायालय में प्रस्तुत हकलिस्ट, कुर्रे तथा पारित की गई प्रारम्भिक आज्ञप्ति में से किसी भी स्तर पर अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति नही प्रस्तुत की गई है फलस्वरूप जो अंतिम आज्ञप्ति पारित की गई है वह विधिवत पारित की गई है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं पारित प्रारम्भिक आज्ञप्ति एवं अंतिम आज्ञप्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/उत्तरदाता संख्या—1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05—10—2010 को हकलिस्ट प्रस्तुत की गई जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नही प्रस्तुत की है। सम्बन्धित अंशधारक पक्षकारों की सहमतियुक्त वाद पत्रों के आधार पर एवं आपत्ति प्रस्तुत न होने के दृष्टिगत विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने दिनांक 07—10—2011 को प्रारम्भिक आज्ञप्ति पारित की है जो कि विधिसम्मत है।

सहखातेदारों ने अपने प्रतिवाद पत्र में अपने—अपने अंश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही की है तद्नुसार प्रारम्भिक आज्ञप्ति के विरूद्ध कोई आपत्ति नही की गई है और न ही उसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत हुई है।

तत्पश्चात पारित प्रारम्भिक आज्ञप्ति के अनुसार सम्बन्धित उजरत अमीन द्वारा दिनांक 20—05—2013/22—05—2013 को कुर्रे तैयार कर प्रस्तुत किये गये। कुर्रों पर भी किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नही प्रस्तुत की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर ने भी अपने निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 03—09—2013 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि हकलिस्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात आपत्ति न प्राप्त होने पर प्रारम्भिक आज्ञप्ति तैयार कर कब्जा तस्दीक के आदेश जारी किये गये है। उजरत अमीन द्वारा 09—03—2012 को कब्जा तस्दीक के साथ यह टिप्पणी प्रस्तुत की गई है कि सोहनलाल पुत्र जयानन्द अपने हिस्से की समस्त भूमि विक्रय कर चुका है तथा 40/17 मे जबरन कब्जा कर रखा है। सोहनलाल का नाम हकलिस्ट में नही है। वर्तमान में खाता संख्या—40 में उसका हक नही बनता है। उजरत अमीन द्वारा प्रस्तुत हकलिस्ट पर प्रतिवादीगण को आपत्ति का पर्याप्त समय दिया गया परन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। तद्नुसार उजरत अमीन द्वारा दिनांक 22—05—2013 को फर्द कुर्रे प्रस्तुत किये गये है जो स्वीकार किये है और तद्नुसार आदेश दिनांक 03—09—2013 से अंतिम आज्ञप्ति पारित की गई है जिसमें स्पष्टतया कोई विधिक एवं तात्विक अनियमितता परिलक्षित नही है।

अपीलकर्तागण को कुर्रे प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अपने अपीलीय आधारों एवं बिन्दुओं से सम्बन्धित आपत्तियां परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उन्हें इस सम्बन्ध में प्रचुरता से अवसर दिया गया था परन्तु वे अंतिम आज्ञप्ति पारित करने से पूर्व परीक्षण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करने से विरत रहे जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी हैं। उनके वर्णित आधार एवं बिन्दु मात्र इसी कारण द्वितीय अपील के स्तर पर अग्राह्य एवं अपोषणीय है मात्र इस दृष्टि से द्वितीय अपील अपोषणीय होती है।

जहां तक अपीलकर्तागण का यह कथन कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनोक 16–10–2014 अन्तर्गत आदेश–41 नियम–27 का निस्तारण किये बिना प्रथम अपील निरस्त की गई है का प्रश्न है यह सही नही है। मैंने अपीलीय पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र को देखा इस प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि "आज/उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया।" तद्नुसार इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण विद्वान अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–12–2014 को ही कर दिया गया था जिसका उल्लेख एवं विवेचन उन्होंने अपने निर्णय में भी किया है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि में सहखातेदारों द्वारा धारित पारिवारिक अंश के सम्बन्ध में कोई विवाद नही था अतः विधि का सारवान प्रश्न नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

अपीलकर्तागण द्वारा परीक्षण न्यायालय में कुर्रों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी नही की है अतः विधि के सारवान प्रश्न संख्या–2, 3 व 5 द्वितीय अपील में उठाने से बाधित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस सम्बन्ध में विशिष्ट उल्लेख अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता ने कोई तर्क इस स्तर पर नही किया है।

विधि का चतुर्थ सारवान प्रश्न सकारात्मक निर्णीत होता है क्योंकि विभाजन वाद में पारित प्रारम्भिक आज्ञप्ति को चुनौती दिये बिना अंतिम आज्ञप्ति को चुनौती दी जा सकती है।

विधि का षष्ठम सारवान प्रश्न यथापूर्व में विवेचित इस आशय से विनिश्चित किया जाता है कि विद्वान अपर आयुक्त ने संदर्भित प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है।

यद्यपि यह द्वितीय अपील यथोक्त अपोषणीय है परन्तु अपीलकर्तागण के सहखातेदार होने एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के दृष्टिगत उन्हें अति उदार दृष्टिकोण लेकर सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है जिस हेतु वे उत्तरदाता संख्या–1 को रू0 2500/–(दो हजार पांच' सौ) क्षतिपूर्ति प्रदाय करेंगे। इस प्रकार द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकारणीय है।

आदेश

अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का आक्षेपित आदेश दिनांक 22–04–2015 अपास्त कर प्रकरण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे

अपीलकर्तागण/पक्षकारों को प्रस्तुत कुर्रा पर समुचित सुनवाई व आपत्ति का अवसर प्रदान कर उन्हें अंतिम करेंगे, तदनुसार वे पारित अंतिम निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 03–09–2013 को विधिवत यथावत रखने, संशोधित करने अथवा नये सिरे से अंतिम आज्ञप्ति पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपीलकर्तागण उत्तरदाता संख्या–1 श्यामलाल को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 2500/–(दो हजार पांच सौ) प्रदाय करेंगे। पक्षकार दिनांक 03–01–2018 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

दिनांकित। आज दिनांक 29–11–2017 को खुले न्यायालय में उदघोषित, हस्ताक्षरित एवं

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)